

प्रेस नोट 07.05.19

1.दिनांक 06.05.19 को वादी श्री सत्य प्रकाश गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता नि0 शिवनगर कालोनी थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान का शटर उठाकर नये व पुराने मोबाइल व अन्य मोबाइल उपकरण तथा नगदी चोरी कर लेना जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 361/19 धारा 457, 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

1.दिनांक 06.05.19 को वादी उ0नि0 श्री संदीप तिवारी थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुशील यादव पुत्र गया प्रसाद नि0 कटारी थाना बीकापुर अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 18 शीशी प्रति शीशी 200 एमएल टेके की शराब करीब 04 लीटर बरामद होना जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 277/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।